



2026:AHC:129743

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 25632/2026

क्रपाल और पांच अन्य.

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: राम शिरोमणि यादव

विरोधी पक्षकार के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत यादव का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता श्री अतुल कुमार कुशवाहा, जिन्होंने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया है, को सुना।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकों द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी के न्यायालय में लंबित, पुलिस थाना कैला देवी, जिला सम्भल के मुकदमा अपराध संख्या 21/2025 से उत्पन्न मुकदमा संख्या 749/2025 (राज्य बनाम क्रपाल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, जो बी.एन.एस की धाराओं 85, 115(2), 118(1), 110, 352, 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत है।
3. इस न्यायालय ने बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 12083/2025 में 26.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना खंड में आवश्यक संशोधन करने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाती है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राम शिरोमणि यादव, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत यादव, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाए और समझौते के निबंधनों के अनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा पारित आरोप पत्र दिनांक 29-04-2025 के साथ संज्ञान आदेश दिनांक 02-08-2025 के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा संख्या 749/2025 (राज्य बनाम क्रपाल और अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित किया जाए, जो कि पुलिस थाना-कैला देवी, जिला-सम्भल के मुकदमा अपराध संख्या 21/2025, बी.एन.एस. की धाराओं 85, 115(2), 118(1), 110, 352, 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 से उत्पन्न है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिनांक 07.02.2026 के समझौते के माध्यम से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसे आवेदन के साथ "अनुलग्नक संख्या-7" के रूप में रखा गया है। इसलिए, संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और यह न केवल न्यायालय के समय की सरासर बर्बादी है बल्कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

4. हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह विचारण न्यायालय का काम है कि वह इस तथ्य का सत्यापन करे कि क्या पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है, इसलिए आवेदक संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं और पक्षकारों के बीच समझौते के संबंध में एक आवेदन दाखिल कर सकते हैं, जिसका विनिश्चय विधि के अनुसार किया जाएगा।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदकों और विरोधी पक्षकार संख्या 2 को निदेशित किया जाता है कि वे आज से तीन सप्ताह के भीतर समझौता विलेख और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित न्यायालय समझौते के सत्यापन के लिए एक तिथि निर्धारित कर सकता है और पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, विधि के अनुसार इस संबंध में यथासंभव शीघ्रता के साथ एक समुचित आदेश पारित कर सकता है, जो कि यदि कोई अन्य विधिक अड़चन न हो, तो प्राथमिकता के आधार पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर हो। समझौते का सत्यापन करते हुए आदेश पारित करते समय, संबंधित न्यायालय पक्षकारों के यह कथन भी अभिलिखित करेगा कि दाखिल किए गए मूल समझौता विलेख में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं।

6. उस स्थिति में, न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा तथा आवेदकों के लिए कार्यवाही को अभिखंडित कराने हेतु पुनः इस न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प खुला रहेगा।

7. संबंधित न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते के सत्यापन तक, उपर्युक्त मामले में आवेदकों के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. उपर्युक्त निदेशों के साथ, यह आवेदन निपटाया जाता है।"

4. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, 05.05.2026 को विद्वान सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा समझौते का सत्यापन कर दिया गया है।

5. आज, जब मामले की सुनवाई हुई, तो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने पक्षकारों के बीच निष्पादित हुए समझौते की पुनः पुष्टि की। यह कहा गया है कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है और विरोधी पक्षकार संख्या 2, जो आवेदक संख्या 1 की पत्नी हैं, एक साथ रह रहे हैं और इस कार्यवाही को जारी रखने से पक्षकारों के वैवाहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होगा और यह न्याय के हित में भी नहीं होगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह रेखांकित किया है कि प्रश्नगत अपराध विशेष रूप से बी.एन.एस. की धाराओं 110, 85 और 118(1) के तहत संज्ञेय और गैर-शमनीय हैं। हालांकि, उन्होंने गैर-शमनीय अपराधों में भी पक्षकारों के बीच निष्पादित समझौते के आधार पर बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन को स्वीकार करने और कार्यवाही को अभिखंडित करने के इस न्यायालय की अधिकारिता में विवाद नहीं किया है।

7. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्वेषण ब्यूरो, (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303 और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466 में दिए गए निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय के पास कुछ संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही को अभिखंडित करने की पर्याप्त शक्ति है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए तथा यह देखते हुए कि समझौता संपन्न हो चुका है और पति-पत्नी एक साथ रह रहे हैं, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

9. तदनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी के न्यायालय में लंबित, पुलिस थाना कैला देवी, जिला सम्भल के मुकदमा अपराध संख्या 21/2025 से उत्पन्न मुकदमा संख्या 749/2025 (राज्य बनाम कपाल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो बी.एन.एस. की धाराओं 85, 115(2), 118(1), 110, 352, 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत है, को एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।

10. वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

30 जून, 2026

कुशल